



जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी-5261

दिनांक : 09.01.2023

सार्वजनिक सूचना

निजी खातेदारी की "महावीर नगर" का अनुमोदन के पश्चात् नियमन शिविर आयोजित किये जाने हेतु कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कैम्प आयोजित दिनांक	कैम्प स्थल	खातेदार का नाम	ग्राम व तहसील	योजना का नाम
1.	12.01.2023	जविप्रा, परिसर	श्री कैलाश चन्द सैनी पुत्र श्री सूरजकरण सैनी जाति सैनी निवासी 63, तालाब के पास, बनेडिया चारणान मालपुरा टोंक, श्रवण कुमावत पुत्र श्री प्रभाती लाल जाति कुमावत निवासी 159, आफिसर कैम्पस जनक मार्ग सिरसी रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, श्री दिनेश कुमावत पुत्र श्री श्रवण कुमावत जाति कुमावत निवासी 159, आफिसर कैम्पस जनक मार्ग सिरसी रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	ग्राम-सिवार तहसील-जयपुर	महावीर नगर

उपायुक्त जोन- 12

क्रमांक : जविप्रा/जोन-9/2023/डी-142

जोन-9

दिनांक : 10.01.2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 160 फीट चौड़ी रोड़ जोनल प्लान सड़क (200 फीट एयरपोर्ट रोड़ से महिमा पनाश को जोड़ने वाली रोड़) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम चक गैटोर, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 268 रकबा 0.23 हैक्टे. कुल किता 1 रकबा 0.23 हैक्टे. में से प्रभावित रकबा 1600 व.मी. के खातेदार श्री रामरतन पुत्र श्री गुलाब चन्द जाति मीना निवासी- ग्राम चक गैटोर, तहसील सांगानेर, जयपुर द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-9 कार्यालय, पार्किंग बिल्डिंग, तृतीय तल, कमरा नम्बर 306, जविप्रा, जयपुर में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-55

जोन-14

दिनांक : 09.01.2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क (महल रोड़ से रिंग रोड़ को जोड़ने वाली) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 3003 रकबा 0.01 हैक्टे. सम्पूर्ण, ख.नं. 3004 रकबा 1.03 हैक्टे. में से 10444.61 व.मी., ख.नं. 3005 रकबा 0.9000 हैक्टे. में से 4682.62 व.मी., ख.नं. 3007 रकबा 1.03 हैक्टे. में से 709.17 व.मी., ख.नं. 3008 रकबा 1.50 हैक्टे. में से 14819.60 व.मी. कुल किता 05 रकबा 04.47 हैक्टे. में से 30756.00 व.मी. भूमि के खातेदार श्री गोविन्दनारायण पुत्र श्री रामगोपाल हिस्सा 1/4 एवं श्री हनुमान सहाय पुत्र श्री रामगोपाल हिस्सा 1/4 द्वारा अपना हिस्सा भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

क्रमांक : एफ/जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-65

जोन-14

दिनांक : 11.01.2023

आम सूचना

जोन-14 में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोजेक्ट 4ए (i) व प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 (शहरी) के प्रावधान AHP के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु जविप्रा द्वारा सृजित योजना खेडा जगन्नाथपुरा में स्थित GH1 and GH2 & GH5 and GH6 में निर्मित किये जा रहे आवास (फ्लैट जी + 3) में जविप्रा द्वारा लोटररी के माध्यम से आवास का आवंटन किया जाकर आवंटन सह मांग पत्र जारी किया गया था। जिन आवेदकों द्वारा एक भी किश्त की राशि जमा नहीं कराई गयी है उनका आवंटन रद्द कर राशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अतः जिन आवेदकों द्वारा आवासों के लिए एक भी किश्त की राशि का भुगतान प्राधिकरण कोष में नहीं किया गया है वह 15 दिवस में प्राधिकरण कोष में जमा कराकर चालान की प्रति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन- 14

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-5284

जोन-12

दिनांक : 11.01.2023

आम सूचना

जोन-12 में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोजेक्ट 4ए (i) व प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 (शहरी) के प्रावधान AHP के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु जविप्रा द्वारा सृजित योजना आनन्द विहार में स्थित GH-1 and GH-2 & GH-5 and GH-6 में निर्मित किये जा रहे आवास (फ्लैट जी + 3) में जविप्रा द्वारा लोटररी के माध्यम से आवास का आवंटन किया जाकर आवंटन सह मांग पत्र जारी किया गया था। जिन आवेदकों द्वारा एक भी किश्त की राशि जमा नहीं कराई गयी है उनका आवंटन रद्द कर राशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अतः जिन आवेदकों द्वारा आवासों के लिए एक भी किश्त की राशि का भुगतान प्राधिकरण कोष में नहीं किया गया है वह 15 दिवस में प्राधिकरण कोष में जमा कराकर चालान की प्रति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सचिव

राज. संवाब/सी/2022-23/.....